


**कार्यालय: जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, (डायट) किशनगंज**  
**कार्यालय-आदेश**  
**आवश्यक सूचना**

दो वर्षीय सेवापूर्व प्रशिक्षण D.EL.Ed सत्र 2021-23 में नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने नामांकन हेतु निर्धारित अवधि दिनांक- 03-11-2021 को अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/प्रवेश-पत्र, महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र (CLC), जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, मूल रूप में तथा आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी, आर्थिक रूप से कमजोर से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल रूप में एवं नामांकन हेतु आवेदन पत्र Student Copy एवं आवेदन करने के समय 100 रु० का Online Payment SBI Collect के माध्यम से किया गया है। E-Receipt For State Bank Collect Payment की मूल प्रति आवश्यक ले कर आयेगे। शपथ-पत्र में यह अंकित हो कि मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र सही है। भविष्य में मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने की स्थिति में विभाग मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा सभी मूल प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति एवं छायाप्रति दो सेट में स्वअभिप्रमाणित एवं पासपोर्ट साईज का दो फोटो (तीन फोल्डर फाईल) तथा नामांकन हेतु निर्धारित शुल्क- 11500/- (ग्यारह हजार पाँच सौ) रूपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/निःशक्त के लिए शुल्क- 7000/- (सात हजार) रूपये नामांकन शुल्क के रूप में डायट के वेबसाईट WWW.dietkishanganj.org पर जा कर SBI Collect Payment के माध्यम से लिया जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद नामांकन शुल्क की राशि SBI Collect के माध्यम से जमा करना है, तथा उस का E-Receipt For State Bank Collect Payment की मूल प्रति कार्यालय में जमा करना होगा। E-Receipt For State Bank Collect Payment की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है ताकि नामांकन शुल्क आप के द्वारा Online Payment के माध्यम से जमा किया गया या नहीं की जाँच की जा सके, के बाद ही नामांकन की रसीद दी जायेगी, चयनित प्रथम सूची महाविद्यालय के वेबसाईट www.dietkishanganj.org एवं महाविद्यालय के सूचना-पट पर देखा जा सकता है।

प्रमाण-पत्र गलत पाये जाने पर आपका चयन रद्द करते हुए आप के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी। निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक-334 दिनांक-274 दिनांक-29-07-2021 के निदेशानुसार उम्र की गणना 01 जनवरी 2021 को आधार मानकर होगी क्योंकि नामांकन सत्र 2021-23 के लिए होगा। चूँकि आवेदन सत्र 2021-23 में नामांकन के लिए लिया गया है, 01 जनवरी 2021 से पूर्व निर्धारित अहर्ता प्राप्त अभ्यर्थी का ही नामांकन लिया जायेगा। जिन अभ्यर्थी का अहर्ता 01 जनवरी 2021 तक पूर्ण नहीं होता है उनका नामांकन नहीं लिया जायेगा।

नामांकन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् आपका नामांकन का दावा मान्य नहीं होगा।

Covid-19 जैसे खतरनाक वायरस से बचने -बचाने के लिए मास्क लगा कर आना अनिवार्य है तथा सोसल डीस्टेंस का पालन करेंगे।

  
प्राचार्य  
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान  
(डायट) किशनगंज